सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 05, सोमवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 27, 2025
Kartika 05, Monday, Saka 1947- October 27, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान

कार्यालय भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

लोक सूचना

भिवाडी, अगस्त 14, 2025

BIDA/PLA/RIICO/Logistic Park/-07641 :-राजस्थान विशेष विनिधान क्षेत्र अधिनियम- 2016 की धारा 17 (2) के अनुसरण मे सूचित किया जाता है कि भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान-2041 में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है:-

रीको के निदेशक मंडल की Infrastructure Development Committee (IDC) की बैठक दिनांक 17.4.2025 के निर्णय के क्रम में सलाहकार (Infrastructure), रीको द्वारा पत्र दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर, भिवाड़ी में रीको द्वारा डी.एफ.सी. कॉरीडोर के समानान्तर प्रस्तावित 40 मी0 चौड़े लॉजिस्टिक्स कार्गो हैंडलिंग सुविधा के कारण ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान-2041 की प्रस्तावित 60 मी0 चौड़ी सड़क के अलाइनमेंट में (आंशिक भाग में) परिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके क्रम में मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने बाबत राज्य सरकार (उद्योग विभाग) से पत्र दिनांक 31.07.2025 द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।

उपरोक्त के क्रम में प्रकरण के परीक्षण उपरांत प्रश्नगत 60 मी0 सड़क का संशोधित अलाइनमेंट का मानचित्र तैयार किया गया है, जिसके अनुसार डी.एफ.सी. कॉरीडोर की मौके पर स्थित चौड़ाई उपरांत दक्षिण दिशा की ओर 40 मी0 चौड़ाई लॉजिस्टिक्स कार्गो हैंडलिंग सुविधा हेतु आरक्षित दर्शाते हुए प्रस्तावित 60 मी0 सड़क का अलाइनमेंट (आंशिक भाग में) परिवर्तित किया जाना है। उक्त संशोधन/अलाइनमेंट में परिवर्तन का प्रस्तावित मानचित्र भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी एवं बीडा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान-2041 में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/हितकारी/संस्था द्वारा इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में अपना आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अतुल प्रकाश (IAS),
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाड़ी।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।